

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)


क्रमांक:एफ 28()परावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./ए.सी.पी./उदयपुर संभाग/2018/543 जयपुर,दिनांक: 19/3/2020

:: आदेश ::

श्री सुनील कुमार जोशी, सहायक सचिव, पंचायत समिति गढ़ी, जिला बांसवाड़ा की प्रथम नियुक्ति दिनांक 09.01.1991 के अनुसार इनकी 27 वर्ष की सन्तोषप्रद सेवायें दिनांक 09.01.2020 (आदेश क्रमांक. 7200-08 दिनांक 24.09.2001 द्वारा एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने एवं आ.क्र. 2733-34 दिनांक 12.09.03 परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण) को पूर्ण होने पर इन्हें राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम 14 व परिशिष्ट-VI के तहत पे मेट्रिक्स की लेवल 12 में तृतीय ए.सी.पी. स्वीकृत की जाती है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,



(अनुप्रेरणा सिंह कुन्तल)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (II)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. मुख्य कार्याकारी अधिकारी, जिला परिषद बांसवाड़ा को उनके पत्र क्रमांक 399 दिनांक 14.02.2020 के क्रम में श्री सुनील कुमार जोशी की सेवापुस्तिका (सजिल्द-एक) व अन्य पत्रादि की प्रतियाँ संलग्न कर भिजवाते हुए लेख है कि इनकी सेवापुस्तिका में पूर्व में किये गये वेतन नियतनों की विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के परिप्रेक्ष्य में जाँच करते हुए ए.सी.पी. स्वीकृति के क्रम में नियमानुसार वेतन नियतन की कार्यवाही करावें।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
4. श्री सुनील कुमार जोशी, सहायक सचिव, पंचायत समिति गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
5. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (II)